प्रदर्शन से पहले निवारक कार्रवाई: BNSS की धारा 163, 170 और 126

शासन और जवाबदेही / संवैधानिक अधिकार / आंतरिक सुरक्षा | समाचार संदर्भ: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान निवारक गिरफ़्तारी और शांति-बंधपत्र, 16-18 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की ज़िम्मेदारी, दोनों संवैधानिक रूप से मान्य हैं। टकराव तब पैदा होता है जब पुलिस अपराध होने से पहले ही कार्रवाई करती है। इसे "निवारक कार्रवाई" कहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में ऐसी कार्रवाई के कई अलग-अलग औज़ार हैं, और हर एक की शर्त, अवधि और निगरानी का तरीका अलग है। परीक्षा में अक्सर इन औज़ारों को एक-दूसरे में मिला दिया जाता है, इसलिए इस लेख का उद्देश्य उनकी सीढ़ी समझाना है, किसी पक्ष के आरोपों का निपटारा करना नहीं।

खबरों में क्यों

रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफ़े और मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में बदलाव की माँग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच, 16 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को एक युवा आंदोलन (कॉकरोच जनता पार्टी, CJP) के संस्थापक को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च से कुछ पहले हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार उन पर BNSS की धारा 126 और 170 के तहत कार्यवाही शुरू हुई। 17 अक्टूबर (शनिवार) को उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया गया और 50,000 रुपये के बंधपत्र पर रिहा किया गया, जिसमें शांति भंग न करने की शर्त बताई गई है। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने एक शिक्षाविद और स्तंभकार की उस आपराधिक रिट याचिका को सुनने पर सहमति जताई है जिसमें धारा 163 के निषेधात्मक आदेशों और निवारक हिरासतों को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इसे अन्य याचिकाओं के साथ 19 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है (The Hindu)।

यह लेख प्रदर्शन की माँगों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं देता। पुलिस की ज्यादती के जो आरोप राजनीतिक दलों और संगठनों ने लगाए हैं, वे आरोप हैं और यहाँ उनकी पुष्टि का दावा नहीं है। कानून का प्रश्न यह है कि निवारक औज़ार कब वैध हैं।

मुख्य अवधारणा: निवारक कार्रवाई की सीढ़ी और अनुच्छेद 19(1)(ख) की कसौटी

अनुच्छेद 19(1)(ख) नागरिकों को "शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने" का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(3) के अनुसार राज्य "भारत की प्रभुता और अखंडता" या "लोक व्यवस्था" के हित में इस अधिकार पर "युक्तियुक्त निर्बंधन" लगा सकता है। यानी प्रतिबंध संभव है, पर वह युक्तियुक्त होना चाहिए और उसका आधार कानून होना चाहिए। BNSS की निवारक धाराएँ ऐसा ही कानूनी आधार देती हैं, और हर धारा के भीतर शर्तें हैं जो उसकी सीमा तय करती हैं।

चार औज़ार अलग-अलग पढ़ें (पाठ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संकलन पोर्टल पर पढ़ा गया): (1) **धारा 163**, निषेधात्मक आदेश: जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या विशेष रूप से सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश, जो ख़तरे की आशंका में किसी व्यक्ति, क्षेत्र के निवासियों या उस स्थान पर आने वालों को कोई कार्य न करने का निर्देश देता है। (2) **धारा 170**, निवारक गिरफ़्तारी: जब पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध करने की योजना का पता हो और उसे लगे कि अपराध किसी और तरह रोका नहीं जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ़्तार कर सकता है; ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत आगे हिरासत की ज़रूरत या अनुमति न हो। (3) **धारा 126**, शांति बनाए रखने का बंधपत्र: कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जब सूचना मिले कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या

लोक-शांति बिगाड़ने की संभावना रखता है और कार्यवाही का पर्याप्त आधार हो, तब वह उससे कारण पूछ सकता है कि उसे ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न हो, शांति बनाए रखने का बंधपत्र या जमानती बंधपत्र क्यों न भरना पड़े। (4) **धारा 130, 135 और 136**, प्रक्रिया: लिखित आदेश में सूचना का सार, बंधपत्र की राशि, अवधि और ज़मानतियों की संख्या लिखना ज़रूरी है (130); फिर सूचना की सत्यता की जाँच होती है (135); और जाँच में आवश्यकता सिद्ध होने पर ही बंधपत्र का आदेश दिया जाता है, जिसमें राशि और अवधि 130 के आदेश से अधिक नहीं हो सकती (136)।

धारा 135(3) के अनुसार जाँच शुरू होने के बाद और पूरी होने से पहले, यदि मजिस्ट्रेट मानता है कि शांति भंग, लोक-शांति में बाधा, किसी अपराध या लोक सुरक्षा की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय ज़रूरी हैं, तो वह लिखित कारण दर्ज करके संबंधित व्यक्ति को जाँच पूरी होने तक शांति या अच्छे आचरण का बंधपत्र भरने का निर्देश दे सकता है, और बंधपत्र भरे जाने तक या, न भरने पर, जाँच पूरी होने तक उसे हिरासत में रख सकता है। इस उपधारा में शर्तें हैं: जिन पर धारा 127, 128 या 129 की कार्यवाही नहीं हो रही, उन्हें अच्छे आचरण का बंधपत्र नहीं भरवाया जा सकता, और बंधपत्र की शर्तें 130 के आदेश से अधिक कठोर नहीं हो सकतीं। धारा 135(6) के अनुसार जाँच शुरू होने से छह महीने में पूरी होनी चाहिए, अन्यथा इस अध्याय की कार्यवाही उस अवधि के अंत में समाप्त मानी जाती है, जब तक मजिस्ट्रेट लिखित विशेष कारणों से अन्यथा निर्देश न दे। इसी उपधारा के परंतुक के अनुसार जिसे जाँच लंबित रहते हिरासत में रखा गया हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही, पहले समाप्त न हुई हो तो, ऐसी हिरासत के छह महीने पूरे होने पर समाप्त हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट कार्यवाही जारी रखने का निर्देश देता है, तो 135(7) के अनुसार सत्र न्यायाधीश, पीड़ित पक्ष के आवेदन पर, उस निर्देश को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि वह विशेष कारण पर आधारित नहीं था या विकृत था। धारा 141 बंधपत्र के उल्लंघन के परिणाम बताती है; हमने उसका पाठ इस लेख के लिए नहीं पढ़ा, इसलिए उसके विवरण रिपोर्टों पर आधारित मानें।

निवारक कार्रवाई की सीढ़ी: BNSS की चार धाराएँ और रिपोर्ट की गई घटनाएँ

संकलन पोर्टल पर पढ़े आधिकारिक पाठ के अनुसार; घटनाएँ समाचार रिपोर्टों के अनुसार; कसौटी: अनुच्छेद 19(1)(ख) और 19(3)

धाराओं की तुलना

धारा	कौन	शर्त	सीमा और निगरानी
163	जिला या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, या विशेष रूप से सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट	ख़तरे की आशंका; लिखित आदेश	किसी व्यक्ति, निवासियों या उस स्थान पर आने वालों को कोई कार्य न करने का निर्देश
170	पुलिस अधिकारी	संज्ञेय अपराध की योजना का ज्ञान; अपराध अन्यथा रुक न सके	मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना; 24 घंटे से अधिक हिरासत नहीं (जब तक अन्य प्रावधान न दें)
126	कार्यकारी मजिस्ट्रेट	शांति भंग की संभावना की सूचना; कार्यवाही का पर्याप्त आधार	कारण बताओ; बंधपत्र की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं
130, 135, 136	मजिस्ट्रेट	लिखित आदेश (राशि, अवधि, ज़मानती); सूचना की जाँच	जाँच शुरू होने के बाद तत्काल उपाय ज़रूरी हों तो लिखित कारणों से अंतरिम बंधपत्र या हिरासत (135(3)); जाँच छह माह में, हिरासत में रखे जाने पर हिरासत के छह माह पर कार्यवाही समाप्त (135(6)); सत्र न्यायाधीश की समीक्षा (135(7)); अंतिम आदेश 130 से अधिक नहीं (136)

रिपोर्टों के अनुसार समय-रेखा (2026)

10-11 अक्टूबर — तीन नेता निवारक रूप से गिरफ़्तार; 50,000 रुपये के बंधपत्र पर एक वर्ष के लिए रिहा

12 अक्टूबर — जंतर मंतर निर्दिष्ट स्थलों की सूची से हटा; तीन अन्य स्थल अधिसूचित

14 अक्टूबर — दो नेता कथित अनधिकृत प्रवेश पर गिरफ़्तार; 5 दिन न्यायिक हिरासत

16 अक्टूबर — कर्नॉट प्लेस मार्च; 100 से अधिक हिरासत में; संस्थापक पर धारा 126 और 170 की कार्यवाही

17 अक्टूबर — SEM के सामने पेशी; 50,000 रुपये के बंधपत्र पर रिहा

19 नवंबर — सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की सूची-तिथि (रिपोर्ट के अनुसार)

खुले प्रश्न: दूसरा बंधपत्र अंतरिम (135(3)) था या जाँच के बाद का (136)? 130 का लिखित आदेश क्या कहता है? याचिकाकर्ता की दलील है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान "शांति भंग" नहीं है; पुलिस पक्ष के आरोप भी सिद्ध नहीं। न्यायालय का निर्णय बाकी है।

स्रोत: BNSS का पाठ (NCRB संकलन पोर्टल); The Indian Express, The Hindu, The Times of India (18 अक्टूबर 2026)। pcsmantra.com का मौलिक आरेख; यह प्रदर्शन की माँगों पर कोई राय नहीं देता।

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

पहली कार्रवाई	**रिपोर्टों के अनुसार 10 अक्टूबर 2026 को आंदोलन के तीन नेता निवारक रूप से गिरफ़्तार हुए और अगले दिन 50,000 रुपये के बंधपत्र पर एक वर्ष के लिए शांति और अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़े गए (The Indian**

	Express)। उस लेख में तारीखें 10 और 11 अक्टूबर दोनों रूपों में आई हैं, इसलिए सही तारीख के लिए मूल आदेश देखना होगा।
प्रदर्शन-स्थल	Indian Express और The Hindu के अनुसार 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को निर्दिष्ट प्रदर्शन-स्थल की सूची से हटाया; Indian Express के अनुसार तीन अन्य स्थल (रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD ग्राउंड) अधिसूचित किए गए।
14 अक्टूबर	आंदोलन के दो नेताओं को जंतर मंतर में कथित अनधिकृत प्रवेश और राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर गिरफ़्तार किया गया और पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया; पुलिस के अनुसार उन पर पहले के बंधपत्र तोड़ने, निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन, अतिक्रमण और लोक-सेवकों के काम में बाधा के आरोप हैं (The Indian Express)।
16 अक्टूबर	कनॉट प्लेस में "लहरा दो तिरंगा" मार्च; Indian Express के अनुसार लगभग 2,000 लोग (अनुमान) जुटे और 100 से अधिक हिरासत में लिए गए। संस्थापक को शाम को मार्च से कुछ पहले हिरासत में लिया गया; रिपोर्टों के अनुसार उन्हें पहले मार्च न करने का नोटिस दिया गया था और पुलिस के अनुसार उन्होंने उसका पालन नहीं किया।
17 अक्टूबर	SEM के सामने पेशी, 50,000 रुपये का बंधपत्र भरकर रिहाई, शर्त: शांति भंग करने वाली गतिविधि में भाग न लेना (The Hindu)। पुलिस के अनुसार उनका मामला धारा 163 के उल्लंघन से जुड़ा था। उनके वकील ने सवाल उठाया कि उन्हें बार-बार SEM के सामने क्यों ले जाया गया।
एक अन्य छात्र नेता	Indian Express के अनुसार एक छात्र-संगठन की अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत हटाया गया और अगली सुबह छोड़ा गया (रिपोर्टों में हिरासत की अवधि अलग बताई गई: The Hindu के अनुसार लगभग 12 घंटे)। हमने उस अधिनियम का पाठ नहीं पढ़ा।
सर्वोच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता की दलील (The Hindu): शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आह्वान को "शांति भंग" मान लेना अनुचित है; "शांति भंग" तब है जब हिंसक या आपराधिक कृत्य निकट हो; निवारक हिरासतें, जिनमें कुछ लगभग 24 घंटे की थीं, अवैध हैं। ये याचिकाकर्ता की दलीलें हैं। केंद्र या पुलिस का उत्तर हमने इन रिपोर्टों में नहीं पाया। सुनवाई के लिए 19 नवंबर की सूची-तिथि बताई गई है।
आगे की रैली	दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर की अवधि का अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया (The Indian Express)।
जो अभी स्पष्ट नहीं	दूसरा बंधपत्र 135(3) का अंतरिम बंधपत्र था या जाँच के बाद 136 का आदेश; 130 का लिखित आदेश क्या कहता है; किस नोटिस या आदेश का कथित उल्लंघन हुआ। हमने न SEM का आदेश पढ़ा, न FIR, न धारा 163 का दिल्ली का आदेश।

विश्लेषण: चार प्रश्न जो हर निवारक कार्रवाई पर पूछे जाते हैं

नीचे का ढाँचा हमारा विश्लेषण है, किसी न्यायालय का निर्णय नहीं। **पहला: औज़ार कौन-सा?** धारा 170 पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ़्तारी का अधिकार देती है, पर शर्त संज्ञेय अपराध की योजना का ज्ञान है; "शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान" अपने आप में संज्ञेय अपराध की योजना है या नहीं, यही याचिका का मूल विवाद है। धारा 126 मजिस्ट्रेट का औज़ार है, पुलिस का नहीं, और उसमें लिखित आदेश और जाँच की प्रक्रिया है। **दूसरा: आधार क्या?** 126 में "पर्याप्त आधार" और 170 में "अपराध किसी और तरह रोका नहीं जा सकता" की शर्त है; यानी कम कठोर उपाय पहले आज़माने की गुंजाइश देखी जाती है। **तीसरा: अवधि और निगरानी।** 170(2) में 24 घंटे की सीमा है, जबकि 126 में बंधपत्र अधिकतम एक वर्ष का हो सकता है; 135(3) के तहत जाँच के दौरान अंतरिम बंधपत्र या हिरासत केवल तत्काल उपाय ज़रूरी होने पर और लिखित कारणों से हो सकती है, और जाँच की समय-सीमा तथा सत्र न्यायाधीश की समीक्षा का प्रावधान 135(6) और (7) में है। **चौथा: आनुपातिकता।** अनुच्छेद 19(3) के "युक्तियुक्त निर्बंधन" का अर्थ है कि जितनी रोक लगे उतना ही कारण भी हो, और रोक का कानूनी आधार हो।

तथ्यों के स्तर पर एक व्यावहारिक प्रश्न है, जिसे रिपोर्टों में याचिकाकर्ता ने उठाया: निर्दिष्ट प्रदर्शन-स्थल हटाए जाने, निषेधात्मक आदेशों और अनुमति के इनकार की श्रृंखला में किसी व्यक्ति के लिए वैध रास्ता क्या बचता है। यह दलील है और उसका उत्तर न्यायालय देगा। पुलिस के पक्ष की जो बातें रिपोर्टों में हैं (नोटिस की अवहेलना, निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन, अतिक्रमण), वे भी आरोप हैं और सिद्ध नहीं।

पहले से बंधपत्र भरे होने के बाद दोबारा कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर Indian Express की व्याख्या के अनुसार बंधपत्र भरना आगे की निवारक गिरफ़्तारी से छूट नहीं देता, और 170 के तहत नई गिरफ़्तारी तथा बंधपत्र-उल्लंघन पर 141 की प्रक्रिया अलग रास्ते हैं। हमने 141 का पाठ नहीं पढ़ा, इसलिए इसे रिपोर्ट के रूप में पढ़ें।

महत्व: अधिकार और व्यवस्था के बीच संतुलन की संस्थागत कसौटी

निवारक कार्रवाई की वैधता इस पर निर्भर करती है कि उसे किस कानून के तहत, किस आधार पर और कितनी अवधि के लिए किया गया। यही कारण है कि वही घटना अलग-अलग औज़ारों में बाँटकर देखी जाती है। न्यायपालिका की भूमिका यह तय करना है कि औज़ार का इस्तेमाल उसकी शर्तों के भीतर हुआ या नहीं। यह GS-II (अधिकार, शासन, पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका) और GS-IV (नागरिक स्वतंत्रता बनाम व्यवस्था की नैतिक कसौटी) दोनों के लिए प्रासंगिक है।

चुनौतियाँ और जो रिपोर्टों में नहीं है

पहली चुनौती तथ्यों की है: तारीखों और हिरासत की अवधि पर रिपोर्टें अलग हैं, और SEM का आदेश या FIR सार्वजनिक रूप से हमारे पास नहीं है। दूसरी, पुलिस और सरकार का पक्ष याचिका के संबंध में हमने नहीं पढ़ा, इसलिए केवल एकतरफ़ा दलीलों पर निष्कर्ष नहीं बनता। तीसरी, कई अलग-अलग कानून एक साथ आ रहे हैं (BNSS 163, 126, 170, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65), और रिपोर्टें कभी-कभी इन्हें एक ही प्रक्रिया की तरह बताती हैं। चौथी, महिलाओं और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप संगठनों ने लगाए हैं; The Hindu के अनुसार एक ज्ञापन पुलिस मुख्यालय को सौंपा गया, पर उन आरोपों की जाँच का निष्कर्ष हमने नहीं पढ़ा।

आगे की राह

ये बिंदु हमारे विश्लेषण हैं। (1) निवारक आदेशों में लिखित कारण और सीमित अवधि स्पष्ट रखना, ताकि बाद में उनकी न्यायिक समीक्षा संभव हो। (2) प्रदर्शन के लिए निर्दिष्ट स्थल और अनुमति की प्रक्रिया की स्पष्ट, पहले से घोषित व्यवस्था, ताकि अनुपालन संभव रहे। (3) हिरासत के पहले 24 घंटे में वकील और परिवार तक पहुँच और दस्तावेज़ीकरण। (4) पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद-बिंदु की औपचारिक व्यवस्था। (5) सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने पर उसके निर्देशों के अनुसार मानक संचालन-प्रक्रिया।

अवधारणा में अंतर

बिंदु	अंतर
धारा 163 बनाम धारा 170	163 मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश है जो क्षेत्र में कार्यों पर रोक लगाता है; 170 पुलिस की निवारक गिरफ़्तारी का अधिकार है, जिसकी शर्त संज्ञेय अपराध की योजना का ज्ञान और 24 घंटे की सीमा है।
निवारक गिरफ़्तारी बनाम शांति-बंधपत्र	गिरफ़्तारी तात्कालिक रोकथाम है; बंधपत्र (धारा 126 से 136) मजिस्ट्रेट की जाँच के बाद एक अवधि के लिए आचरण की गारंटी है। दोनों एक के बाद एक आ सकते हैं, पर वे अलग प्रक्रियाएँ हैं।

निवारक कार्रवाई बनाम दंड	निवारक कार्रवाई किसी अपराध के सिद्ध होने के बाद की सज़ा नहीं है; यह आशंका पर आधारित सावधानी है, इसलिए उसकी शर्तों की कड़ी जाँच होती है।
आरोप और दलील बनाम न्यायिक निष्कर्ष	याचिका की दलीलें और पुलिस के आरोप तब तक निष्कर्ष नहीं हैं जब तक न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्णय न दे।

मेंस दृष्टि

GS-II: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19), पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, न्यायपालिका की भूमिका; GS-IV: नागरिक स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था के बीच नैतिक संतुलन; GS-III: आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था की ज़िम्मेदारी के संतुलन के संदर्भ में BNSS की निवारक धाराओं (163, 170 और 126) की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। दिल्ली के हालिया प्रदर्शनों की रिपोर्टों के प्रकाश में बताइए कि ऐसी कार्रवाई की वैधता किन कसौटियों पर जाँची जानी चाहिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अनुच्छेद 19(1)(ख) और 19(3) का संतुलन, और 16 से 18 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टें (जाँच और सुनवाई लंबित)।

मुख्य भाग में: तीन औज़ारों का अंतर: 163 (क्षेत्र पर रोक), 170 (संज्ञेय अपराध की योजना पर 24 घंटे तक गिरफ़्तारी), 126 (मजिस्ट्रेट की जाँच के बाद बंधपत्र); कसौटियाँ: कानूनी आधार, लिखित कारण, आवश्यकता और आनुपातिकता, अवधि और न्यायिक निगरानी; रिपोर्ट की गई स्थितियों का मिलान, जिसे प्रारंभिक और विवादित कहें; सुझाव: स्पष्ट प्रदर्शन-स्थल, लिखित आदेश, हिरासत में पहुँच।

निष्कर्ष में: सार्वजनिक व्यवस्था की निवारक कार्रवाई को दंड न मानें; हर धारा की अलग शर्त, लिखित कारण, आवश्यकता, आनुपातिकता और न्यायिक निगरानी पर वैधता परखें तथा विवादित रिपोर्टों को न्यायिक निष्कर्ष न बनाएँ।

स्रोत

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का पाठ: धाराएँ 126, 130, 135, 136, 163, 170 (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, संकलन पोर्टल)
- भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(ख) और 19(3) का पाठ (विधायी विभाग, भारत सरकार)
- शांति-बंधपत्र और धाराओं की व्याख्या, समय-रेखा: The Indian Express (Explained), 18 अक्टूबर 2026
- जमानत, हिरासत की संख्या, 1 नवंबर की रैली की अनुमति: The Indian Express, 18 अक्टूबर 2026
- रिहाई, बंधपत्र की शर्त और पुलिस का पक्ष: The Hindu, 18 अक्टूबर 2026
- सर्वोच्च न्यायालय में याचिका और 19 नवंबर की सूची-तिथि: The Hindu, 18 अक्टूबर 2026
- घटनाक्रम का सार: The Hindu (लाइव अपडेट), 18 अक्टूबर 2026
- धारा 126 और 170 के उल्लेख की पुष्टि: The Times of India (लाइव), 18 अक्टूबर 2026

नोट: SEM का आदेश, FIR, दिल्ली का धारा 163 का आदेश, BNSS धारा 141 और दिल्ली पुलिस अधिनियम का पाठ, तथा केंद्र या पुलिस का उत्तर नहीं पढ़ा गया। रिपोर्टों के बीच तारीखों और अवधियों में अंतर है और ऊपर दर्ज है। लेख प्रदर्शन की माँगों पर कोई राय नहीं देता।